मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
द्वितीय ब्लाक पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. 19502 /22/वि–12/T-4/QC/S-68/2014 भोपाल, दिनांक 27/9/2014

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,................
(म.प्र.)

विषयः **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु Stage Passing Activities लागू करने बावत् दिशा निर्देश।**

—0—

विभिन्न जिलों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि Quality Assuarance Handbook for Rural Roads द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित Frequency अनुसार परीक्षण नहीं किये जा रहे है, जिससे निर्माण कार्यो की गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति बन रही है एवं एनक्यूएम/एसक्यूएम द्वारा निर्माण कार्यो को अधिक संख्या में असंतोषजनक श्रेणी दी जा रही है, उक्त स्थिति वांछनीय नहीं है। निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक स्तर पर Stage Passing Activities की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है :–

1. कार्यादेश जारी होने के पश्चात महाप्रबंधक OGL लेने हेतु तिथि निर्धारित करेंगे। उक्त तिथि में सम्बन्धित ठेकेदार के प्रतिनिधि, Consultant एवं संबंधित उपयंत्री/सहायक प्रबंधक संयुक्त रूप से लेवल लेंगे तथा लिये गये लेवल सीधे लेवल बुक में Entry किये जायेंगे। सहायक प्रबंधक/उपयंत्री लेवल के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मार्ग का एलाइनमेंट महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं लिये गये ओजीएल के आधार पर तथा सीडी की लोकेशन तथा स्थल की आवश्यकता के अनुरूप स्ट्रक्चरल डिजाइन तथा आकार/प्रकार/ऊंचाई के साथ आरटीएल का निर्धारण महाप्रबंधक द्वारा किया जाकर इसकी प्रति ठेकेदार एवं कंसल्टेंट को कार्यादेश जारी होने के एक माह के अंदर प्रदाय की जावेगी एवं आरटीएल निश्चित करते हुये एल–सेक्शन पर हस्ताक्षर कर इसकी प्रति संबंधित ठेकेदार, कंसलटेंट, (TL/ARE/FE) कार्य के प्रभारी सहायक प्रबंधक/उपयंत्री को प्रदाय की जावे।
3. अर्थवर्क का कार्य पूरा होने पर अर्थवर्क की Quantity की फाईनल गणना एवं मापपुस्तिका में लेवल आधारित अर्थवर्क के अंतिम माप प्रविष्टि उपरांत TL एवं कार्य के प्रभारी सहायक प्रबंधक/उपयंत्री द्वारा लिखित में Stage Passing प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
4. सबग्रेड स्तर तक कार्य पूर्ण होने के पश्चात TL एवं महापबंधक द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर Stage Passing प्रमाण पत्र जारी किया जाकर **जीएसबी का कार्य प्रारम्भ**

करने की अनुमति लिखित में दी जावेगी। परन्तु Stage Passing प्रमाण पत्र हेतु महाप्रबंधक ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इस दौरान अर्थवर्क के फाइनल माप अंकित होने की पुष्टि भी कर लेंगे।

5. जीएसबी का कार्य पूर्ण होने के पश्चात संबंधित सहायक प्रबंधक/उपयंत्री द्वारा लिखित में Stage Passing प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा एवं WBM जी–2 का कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति लिखित में दी जावेगी।

6. WBM जी–2 कार्य पूर्ण होने के पश्चात सहायक प्रबंधक/उपयंत्री द्वारा Stage Passing प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा तथा WBM जी–3 करने की अनुमति लिखित में दी जावेगी।

7. WBM जी–3 का कार्य पूर्ण होने के पश्चात TL एवं महापबंधक द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर Stage Passing प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा एवं बीटी कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति लिखित में दी जावेगी। परन्तु Stage Passing प्रमाण पत्र हेतु महाप्रबंधक ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. बीटी कार्य संबंधित सहायक प्रबंधक, कंसलटेंट के ए.आर.ई की उपस्थिति में करवाया जावे। बीटी कार्य में उपयोग होने वाले मेटल की ग्रेडिंग एवं पी.एम.सी एवं सीलकोट में बिटुमन की मात्रा की जांच निर्धारित Frequency अनुसार अनिवार्य रूप से की जावे एवं महाप्रबंधक एवं कंसलटेंट के टीम लीडर भी ग्रेडिंग एवं बिटुमन की मात्रा का सत्यापन निर्धारित मात्रा में करेंगे।

9. सीसी पेवमेंट में जीएसबी एवं WBM जी–2 स्तर की सतह का प्रमाणीकरण संबंधित सहायक प्रबंधक एवं कंसलटेंट के टीम लीडर द्वारा किया जावेगा। सीसी कार्य करने के पूर्व टीम लीडर द्वारा लिखित में सीसी कार्य करने की अनुमति जारी की जावे। प्रत्येक सड़क के सीसी कार्य के दौरान कम से कम एक बार महाप्रबंधक द्वारा निरीक्षण किया जावेगा एवं इसकी गुणवत्ता निर्धारित Frequency में Cube Test (7 days एवं 28 days) करने के उपरांत Quality प्रमाणित की जावेगी। सी.सी. पेवमेंट कार्य की गुणवत्ता के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 7063/22/वि–12/Tech/QC/T-4/S-68/14 भोपाल दिनांक 25–04–2014 एवं पत्र क्रमांक 10432/22/वि–12/Tech/QC/T-4/S-68/14 भोपाल दिनांक 19–05–2014 द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के साथ ही महाप्रबंधक द्वारा कार्य का प्रमाणीकरण किया जावेगा।

10. जीएसबी, WBM जी–2 एवं WBM जी–3 प्रत्येक स्तर पर शोल्डर का कार्य उक्त लेयर्स के कार्य करने के पूर्व अथवा साथ–साथ किया जावेगा। बीटी करने के पूर्व WBM जी–3 स्तर तक के शोल्डर पूर्ण होना अनिवार्य है, इसका प्रमाणीकरण महाप्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

11. प्रत्येक स्तर पर निर्धारित Frequency अनुसार सामग्री एवं किये गये कार्य के परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। प्रत्येक स्तर पर महाप्रबंधक/सहायक प्रबंधक/उपयंत्री/टीम लीडर/एआरई एवं फील्ड इंजीनियर द्वारा जितनी मात्रा में माप सत्यापित किये जाना है उनका प्रमाणीकरण मापपुस्तिका में करना तथा उतनी ही मात्रा में सामग्री एवं किये गये कार्य के परीक्षण करने के उपरांत Quality Control Register में

Record किया जाना भी सुनिश्चित करें। प्रत्येक माह महाप्रबंधक द्वारा किये गये परीक्षणों के पांच फोटोग्राफ मुख्यालय को **cgm1mprrda@rediffmail.com** ई–मेल पर अगले माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजे जावेंगे। फोटोग्राफ में मार्ग का नाम, चैनेज क्रमांक, कौन–सा टेस्ट किया जा रहा है का विवरण अंकित किया जावे।

Stage Passing प्रमाण पत्र को संलग्न प्रारूप में जारी किया जावे। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

Alka

(अलका उपाध्याय)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृ. क्र. 19503 /22/वि–12/T-4/QC/S-68/2014 भोपाल, दिनांक 27/9 /2014

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियन्ता म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य महाप्रबधंक I, II, III, IV, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर एवं रीवा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक (समस्त) समस्त म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।

Alka

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पैकज क्र. एमपी .... की सड़क .... लम्बाई .... कि.मी. का चैनेज ....से .... तक का सबग्रेड/जीएसबी/WBM जी–2/ WBM जी–3/ WMM बी.टी./सी.सी. पेवमेंट/सी.डी. स्ट्रक्चर, का कार्य ठेकेदार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पूर्ण कर लिया है, अतएव आगामी लेयर के कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सबग्रेड/जीएसबी/ WBM जी–2/ WBM जी–3/ WMM/बी.टी./सी.सी. पेवमेंट/सी.डी. स्ट्रक्चर, के कार्य में निर्धारित मात्रा के सामग्री परीक्षण एवं अन्य सभी निर्धारित परीक्षण कर लिये गये हैं।

महाप्रबंधक/टीम लीडर/सहायक प्रबंधक/उपयंत्री

दिनांक : ....

इकाई– ....

कंसलटन्ट.......................................

जिला–...

पृ.क्र. ....

दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

1. महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई–.......................................।
2. सहायक प्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई–.......................................।
3. संबंधित ठेकेदार श्री ....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबंधक/टीम लीडर/सहायक प्रबंधक/उपयंत्री

दिनांक : ....

इकाई– ....

कंसलटन्ट.......................................

जिला–...